

कार्यालय कलेक्टर(जनजातीय कार्य विभाग)अनूपपुर,म.प्र.

email- actw.anp@mp.gov.in

File No.: TRD/1/0012/2026-O/oTRBL-ANP-COLL/Nirman

Anuppur Date-

:: निविदा शर्तों का प्रारूपः

निविदा प्रपत्र के साथ ठेकेदार/फर्म को अभिलेखों को ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य हैं। अभिलेख निर्धारित समय अवधि में जमा न करने पर ठेकेदार की निविदा नहीं खोली जायेगी या मान्य नहीं की जायेगी। तकनीकी बिड खोलने पर योग्य पाये जाने वाले ठेकेदारों की ही ऑनलाईन निविदायें खोली जायेगी।

अभिलेखों की सूची


- 1- अमानत राशि ऑनलाईन जमा की प्रति जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, जो सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर को देय हो।
- 2- लोक निर्माण विभाग में नवीन पंजीकृत व्यवस्था के तहत पंजीयन की प्रति।
- 3- आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की प्रति।
- 4- जी.एस.टी. पंजीयन।
- 5- प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग मूल अमानती राशि एवं रुपये 200/-के नान ज्यूडीसियल स्टाम्प पर (50/-नोटेरियल टिकट सहित) मूल शपथ-पत्र (जो निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक बी (As per Annexure-B) अनुसार) प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न अनिवार्य होगा।
- 6- ORGANIZATIONAL DETAILS अनुलग्नक एच Annexure-H के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7- निविदाकार को विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी हेतु Assessment Year 2023-24, 2024-25 एवं, 2025-26 का जमा करना अनिवार्य होगा।
- 8- निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि विभाग का ई.पी.एफ. पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- 9- जी.एस.टी. एक वर्ष (2025-26) का रिटर्न जमा करना अनिवार्य है।

शर्तें :-

- 1- निविदा दिनांक 08.05.2026 को समय 11.00 बजे के पश्चात कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर में खोली जायेगी।
- 2- यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने का दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जायेगी।
- 3- उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र की जीवित प्रति फर्म होने की दशा में साझेदारी की डी.डी. एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति।
- 4- अस्पष्ट दर टेण्डर फार्म शर्तों सहित बगैर धरोहर राशि का टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 5- निविदा में किसी भी प्रकार के विवाद आदि की स्थिति में निविदा जारीकर्ता अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
- 6- निविदा जारीकर्ता अधिकारी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये अमान्य अथवा निरस्त कर सकता है।
- 7- कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्तें आदि वेबसाइट में देखी जा सकती है।
- 8- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें/शीघ्र बिड जमा करें। वेबसाइट के किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं रहेगा।
- 9- निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक होगी।
- 10- निर्माण कार्य पर देखरेख हेतु ठेकेदार को नियमानुसार डिप्लोमा/स्नातक सिविल इंजीनियर कार्यस्थल पर रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सिविल इंजीनियर एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अनुबंध पत्र अनुबंध के समय प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11- प्रमुख अभियंता लो0नि0वि0 भोपाल के आदेश अनुसार निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
- 12- भवन निर्माण कार्य के कार्कीट वर्क में M.Sand का उपयोग नहीं किया जायेगा।

//2//

- 13- निर्माण कार्य पर कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार श्रम विभाग से कराये जाने एवं श्रमिकों को नियमित भुगतान किये जाने की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाकर सूची विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 14- समय सीमा उपरांत आवंटन लैप्स/समर्पित होने पर कार्यों के भुगतान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। वरिष्ठ कार्यालय से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 15- निविदाकार को किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड होने एवं अन्य जानकारियां असत्य पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जावेगी।
- 16- LOA (Letter of Acceptance) होने के उपरांत मूल शपथ पत्र जमा करना होगा।
- 17- यह निर्माण कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत है जिसके सभी चरण निर्धारित है यदि निविदाकार निर्धारित चरणों में कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तब प्रत्येक चरण पर 6 प्रतिशत की पेनाल्टी ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी।
- 18- निविदाकारों को आदेश प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
- 19- निविदा में जारी तिथियों के अनुरूप कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं होती है तब भी ऑनलाईन निविदा कलेक्टर अथवा उनके द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।
- 20- निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाली खनिज सामग्री की रायल्टी का भुगतान ठेकेदारों को करना होगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- 21- कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व ठेकेदार को निर्माण स्थल पर स्वयं की सामग्री लाना होगा एवं कार्य करना होगा जिसके लिये विभाग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
- 22- कार्य का मूल्यांकन एवं निरीक्षण विभाग के उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जावेगा। कार्य प्रगति के आधार पर प्रस्तुत रनिंग बिलों के अनुसार भुगतान किया जावेगा जिसमें नियमानुसार आयकर राशि जी.एस.टी., टी.डी.एस. श्रम उपकर एवं सुरक्षानिधि एवं म0प्र0 शासन एवं केन्द्र शासन (भारत सरकार) द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राशि की कटौती की जावेगी।
- 23- निविदाकार को टेस्टेड स्टील एवं सीमेंट, गिटटी, रेत, ईट एवं कांकीट के इत्यादि क्यूब टेस्ट स्वयं के खर्च से करवाना होगा जो निर्धारित मानक मापदण्डों के अनुसार न होने पर कार्य में प्रयुक्त नहीं करने दिया जावेगा। भुगतान के समय निविदाकार को रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग या भवन में उपयोग होने वाली सामग्री के लिये पंजीकृत प्रायवेट लिमिटेड फर्म से टेस्ट करवाने के उपरान्त तकनीकी टेस्ट रिपोर्ट विभाग में जमा करना होगा।
- 24- कार्य आदेश देने के बाद यदि अनुबंध के अनुसार समानुपातिक प्रगति संतोष जनक नहीं पायी जाती है तो दिये गये समय के अन्दर ही अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में परफारमेन्स अमानत राशि अतिरिक्त परफारमेन्स एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी। ठेकेदार द्वारा यह कार्य अधूरा छोड़ने पर अन्य ऐजेंसी से अथवा विभिन्न रूप से कार्य कराने पर जो भी अतिरिक्त व्यय आयेगा वो ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।


 सहायक आयुक्त
 जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर